ISSN: 0973-0583

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा की प्रसांगिकता

डॉ० अरविन्द कुमार

सहायक प्राध्यापक, आई. आर. पी. एम. विभाग, टी. एन. बी. कॉलेज, भागलपुर

जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा अपने वास्तविक अर्थ में सिखना से जुड़ी है। शिक्षा मनुष्य द्वारा अपने आंतरिक और बाह्य परिवेश के साथ समायोजित होने की कला है। शिक्षा जीवन का वह आईना है जिसमें मनुष्य अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को प्रतिबिम्ब के रूप में देखता है। ये प्रतिबिम्ब ही संसाधन बनकर मानव व्यक्तित्व के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। डॉ० एस. राधाकृष्णन ने शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा था कि:-''शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का साधान नहीं है। न यह विचारों की संवर्धन स्थली है और न ही नागरिकता की पाठशाला है। यह आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश की दीक्षा है, सत्य की खोज में लगी मानव आत्मा का प्रशिक्षण है।''

इस प्रकार शिक्षा मानव जीवन के सर्वागींण विकास का आधार है। सही और गलत के मध्य फैसला करने का माध्यम है। निश्चित तौर पर शिक्षा जीवन के पुराने प्रतिमानों को समय की नई मांगों के अनुकूल बनाने का सामंजस्य बैठाने के रूप में देखा जा सकता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को शिक्षा के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, वही समाज में नवचेतना का संचार कर विकास के मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है।

शिक्षा के विभन्न स्तरों में प्राथमिक शिक्षा विकास के उद्देश्यों में उस माँ के समान है जो उंगली पकड़कर बच्चे को न केवल चलाना सिखाती है, बल्कि प्रथम बार में उसमें आत्मविश्वास को रोपित करती है। गाँधी जी ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के गुणों का सर्वागींण विकास करना है। ''इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा शिक्षा को अनिवार्य रूप से सुलभ और नि: शुल्क बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में स्थान दिया गया। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की धारा 45 में राज्य को निर्देशित किया गया कि 6-14 की वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाने का दायित्व राज्य का होगा। स्वतंत्रा के छ: दशक पश्चात् जब प्राथमिक शिक्षा अपने वास्तविक स्परूप को प्राप्त नहीं कर सकी तब 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करते हुए संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 (ए) जोड़ा गाया। प्राथमिक शिक्षा की दिशा में अगर सब कुछ ठीक रहा और समाज तथा राज्य ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसके लिए प्रयास किए तो वह दिन दूर नहीं जब देश का प्रत्येक बच्चा कागज, कलम और दवात से जुड़ पाएगा और शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आ पाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य बातें

1. 10+2 संरचना को 5+3+3+4 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी, लेकिन समग्र विकास के उद्देश्य से इसे नया स्वरूप दिया जाएगा।
3. मैथमैटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर कोडिंग कक्षा 6 से शुरू होगी।
4. स्कूल में 6वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है
5. नई प्रणाली में 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 3 वर्ष की प्री- स्कूल/ आंगनवाड़ी होगी।
6. कक्षा 5वीं तक यह नीति स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में महत्व देगी।
7. स्कूल और उच्च शिक्षा में, छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में संस्कृत को भी सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा, जिसमें तीन भाषा सूत्र शामिल हैं।

8. विकल्प के तौर पर भारत के अन्य शास्त्रीय भाषाओं का साहित्य भी उपलब्ध होगा।
9. किसी भी छात्र का किसी भी भाषा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
10. उच्च शिक्षा के विषयों में लचीलापन प्राप्त होगा।
11. उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रमाणन के साथ कई प्रवेश और निकास बिन्दु होगें।
12. यूजी प्रोग्राम 3 या 4 वर्ष का हो सकता है इस अवधि में उचित प्रमाणीकरण के साथ कई निकास विकल्पों के साथ जैसे सटिफिकेट 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद उन्नत डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद डिग्री और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक प्रदान किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महात्मा गाँधी की इसी सोच के अनुरूप है कि शिक्षा शिक्षार्थी की मातृभाषा में ही प्रदान की जानी चाहिए तभी उसकी ग्राह्मता अधिक होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार कराते हुए प्राथमिक से लेकर तकनीकी और मेडिकल शिक्षा तक को मातृभाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है इसके अन्तर्गत हिन्दी भाषा (मातृ भाषा) में एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य मेडिकल, इंजीनियरिंग और कानून की उच्च शिक्षा सही प्रकार की औपचारिक और पेशेवर शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है, किसी भी देश में बदलाव के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण औजार होता है और हर शिक्षा का वाहक भाषा होती है वह भाषा, जो सदियों के बाद उस समाज में विकसित है अपने को उस संस्कृति और सभ्यता के साथ आत्मसात् करती है जिसके एक-एक शब्द को गढ़ने में शताब्दियाँ लग जाती हैं और जो माँ की सांसों से अगली पीढ़ी तक पहुँचती है. इसलिए अच्छी शिक्षा में भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के आने के साथ की भारत की शिक्षा प्रणली में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलाव का सिलसिला प्रारम्भ हो गया है। इस नीति में पठन-पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधारित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी केन्द्रित नई व्यवस्था लाने पर जोर दिया गया है. जिसे विद्यार्थी का समग्र विकास के साथ ही उसकी रचानात्मक क्षमता भी विकसित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस मूल सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के साक्षर बना देने और उन्हें अंक ज्ञान देने तक ही सीमित न रहे।

शिक्षा की भाषा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष 'शिक्षा की भाषा' कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता रही है। आजादी के बाद से 2014 तक, सिर्फ अंग्रेजी ही देश की शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है, ऐसा भ्रम लोगों में पैदा किया जाता रहा है. जिसके कारण अंग्रेजी माध्यम स्कूलों यानी पब्लिक स्कूलों की बाढ़-सी आ गई। इसी पब्लिक शब्द को हटाने की सिफारिश पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम ने की थी। फिर 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शिक्षा में बदलाव का मंथन शुरू हो गया और पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2016 में सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट को देशभर में मसौदे के लिए भेजा गया और उन सुझावों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई समिति बनाई गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भाषाओं को सम्मान दिया गया है। इस नीति में मातृभाषाएँ और स्थानीय भाषाएँ दोनों को जगह दी गई है, इसलिए इस नीति की आत्मा को समझ कर आगे बढ़ेंगे, तो राष्ट्रहित होगा। यदि शिक्षक पढ़ाते वक्त वहाँ की स्थानीय भाषा, शब्दों, परम्परा, लोककथा को साथ रखते हुए बच्चों के बीच संवाद करेंगे, तो वे रटने की प्रवृत्ति से दूर होंगे। फिर उन्हें पढ़ने में आनंद आएगा। दरअसल यही नई शिक्षा नीति का मूल मंत्र है वह कैसी शिक्षा जिसकी भाषा ही समझ में ना आए? अंग्रेजी के बर्चस्व ने बच्चों को सही शिक्षा से और दूर कर दिया। नौकरी कैसे मिलेगी? एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, तो कैसे बात करेंगे? ना जाने कितने कुतर्क लेकर विरोधी आगे आ जाते हैं? वे यह भूल जाते हैं कि पूरे यूरोप में अंग्रेजी की वजह से नौकरी मिलती तो वो अपनी मातृभाषा में क्यों पढ़ते? चीन और जापान क्यों अपनी भाषाओं में

पढ़ाते, हमें यह समझने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे, तो आगे चल कर कोई भी विदेशी भाषा जरूरी नहीं कि अंग्रेजी ही हो, उसे भी जल्दी आत्मसात् करेंगे और जल्दी रचनात्मकता दे पाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिर्फ अंग्रेजी से ही देश का उत्थान हो सकता है यह मिथक् दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री और स्वयं महात्मा गाँधी और देश के दिग्गज राजनेताओं के सपनों के एकदम खिलाफ था। अभी तक ज्ञान आयोग और शिक्षा की तत्कालीन नीतियों की वजह से अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया। यहाँ तक कि 2011 में सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा में भी अंग्रेजी शामिल कर दी गई। इसके खिलाफ देश भर में भारतीय भाषाओं के पछकारों ने आंदोलन किए और अंत में कोर्ट के हस्तक्षेप से और 2014 में मोदी सरकार के निर्णय से सिविल सेवा परीक्षा की प्रारम्भिक स्तर से अंग्रेजी हटा दी गई दरअसल उस दौर में भारतीय भाषाओं के समर्थन में, जो आन्दोलन हुआ उसी की अभिव्यक्ति नई शिक्षा नीति में भी झलकती है. हालांकि संघ लोक सेवा आयोग की दूसरी परीक्षाओं में भारतीय भाषाएँ अभी भी शामिल नहीं की गई और ना कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को को कोई जगह है। यह सरकार के लिए अभी भी एक चुनौती का विषय बना हुआ है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषाओं का महत्व

मेडिकल की पढ़ाई के लिए, जो नीट परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में होती थी पिछले कुछ वर्षों पहले 8 भारतीय भाषाओं में शुरू करने के बाद अब उसमें 13 भारतीय भाषाएँ शामिल हो गईं। जैसे-मराठी, गुजराती, उर्दू, बंगला, कननड़, हिन्दी आदि 8वीं अनुसूची में कुछ 22 भारतीय भाषाएं हैं और सरकार का प्रयास है कि इन सभी भाषाओं में लागू कर दिया जाए। इसके लिए पाठ्य-पुस्तक की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। इंजिनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है कि आगे कौन वाले सत्र में 8 भारतीय भाषाओं हिन्दी, बंगला, तमिल, तेलुगू, मराठी, मलयालम, गुजराती और कन्नड़ में पढ़ने की सुविधा उन्हें मिलेगी. भारतीय न्याय-व्यवस्था में भी भारतीय भाषाओं को लाने की बड़ी चुनौती है। सरकार इसके लिए भी पूरी तरह से प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा, जो कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिग भर्ती बोर्ड को मिलाकर शुरू करने का इरादा है उसे भी भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है, क्योंकि जब तक नौकरी में भारतीय भाषाएँ शामिल नही होंगी तब तक शिक्षा में वैसा परिवर्तन आना सम्भव नहीं है जैसा कि अपेक्षित है।

शिक्षा और समुदाय

शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य मानव को ऐसा भला इंसान बनाना है जिसकी सोच और कार्य युक्तिसंगत हो, जिसमें दया और सहानुभूति हो, साहस एंव संकटों का सामना करने की क्षमता हो, सभ्यता की शुरूआत से ही शिक्षा भारतीय समाज की बुनियाद रही है. भारत के उपनिवेशीकरण से पहले हमारे देश में अनौपचारिक ढाँचे वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। इसमें समाज से संवाद तथा ज्ञान और उसके उपयोग के बीच सम्बन्ध की ज्यादा सम्भावना थी। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला के काल में भारत में उच्चतर शिक्षा ज्यादा समग्र और समाज से जुड़ी थी। आज हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश ढाँचे पर आधारित है. ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का ढाँचा औपचारिक था। हालांकि इसने भारत में शिक्षा के विकास में बहुत योगदान किया। भारत में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर शिक्षा के ढाँचे का निर्माण और विकास इसी प्रणाली के अनुसार हुआ जिसमें अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व रहा है, लेकिन बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से अनुमोदन के साथ ही एक बेहतर, सामसमयिक एवं समेकित शिक्षा नीति के व्यवहार में आने की उम्मीद अब की जानी चाहिए यह इसलिए भी कि यह नीति लगभग 5 वर्षों की तैयारियों के बाद सामने आई है।

नई शिक्षा नीति में भाषा की केन्द्रीयता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 66 पृष्ठ के इस प्रारूप में 206 बार भाषा शब्द आया है, जिनमें से 126 बार. बहुवचन रूप के आधिक्य का होना इस बात को इंगित करता है कि किसी एक भाषा और संस्कृति की बात न करके सभी भाषाओं पर जोर दिया जाए. हमारे देश में

अनेक भाषाएँ हैं जिनको कई विद्वान् भाषा और बोलियों, दो वर्गों में भी बाँटते हैं। प्रारम्भ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं वह बढ़कर अभी 22 हो गई हैं। इसके अतिरित बोलियों को मिलाकर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1369 भाषाएँ है जिनमें 121 भाषाएँ 10 हजार से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। यूनेस्को के अनुसार विगत 50 वर्षों में 197 भारतीय भाषाएँ लुप्तप्राय हो चुकी हैं और अनेक लुफ्तप्राय होने की कगार पर हैं। एक भाषा मरने से उस भाषा को बोलने वालों की सभ्यता, संस्कृति आदि समाप्त हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है. इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भली-भाँति स्वीकार किया है। इस दृष्टि से नीति में लिखा है-संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, इमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।

महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारा बालक स्नातक, परास्नातक तक की पढ़ाई में 6 वर्ष अंगेजी के पीछे बर्बाद करता है, अगर यह समय उसके विषय पर खर्च होता, तो वह अपने विषय में अधिक सक्षम हो सकता है। वैश्विक स्तर पर भाषा सम्बन्धी जितने भी अध्ययन हुए हैं, सभी का एक ही निष्कर्ष है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा के स्तर पर कम-से-कम कक्षा 5 तक और जहाँ सम्भव है वहाँ कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं विख्यात वैज्ञानिक डॉ० अब्दुल कलाम से नागपुर के धर्मपेठ महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में व्याख्यान के बाद एक छात्र ने प्रश्न किया कि आप सफल वैज्ञानिक कैसे बने तब डॉ० कलाम का उत्तर था कि 'मैंने 12वीं तक विज्ञान, गणित सहित सम्पूर्ण शिक्षा मातृभाषा तमिल में ली है। यह इस बात को दर्शाता है कि शिक्षा की पूर्णता मातृभाषा में निहित है।

त्रिभाषा सूत्र

शिक्षा नीति में 'त्रिभाषा सूत्र' को लागू करने पर पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, क्योंकि देश के कुछ राज्य अभी तक इसका अमल नहीं कर रहे हैं, साथ ही त्रिभाषा नीति की जो भावना थी कि उत्तर के राज्य अर्थात् हिन्दी भाषी राज्य के छात्र दक्षिण या अन्य राज्यों की एक भाषा सीखेंगे और अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्र हिन्दी सीखेंगे ऐसा व्यावहारिक रूप से किया नहीं गया। इस हेतु इस नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु राज्य परस्पर अनुबंध कर भाषा शिक्षकों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, ऐसा सुझाव भी दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन को लेकर और एक प्रावधान है कि छात्रों को तीन में से दो भारतीय भाषाएँ चुनना अनिवार्य होगा इस नीति में भाषा शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भी बल दिया गया है। इस हेतु विकिपीडिया जैसे माध्यम के द्वारा भारतीय भाषाओं और उससे सम्बन्धित कला, संस्कृति का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही बालक भाषा आनन्द से सीख सके इसके लिए ऐप्स एवं गेम्स आदि विकसित करने की बात भी कही गई है।

भारत में भाषाओं की विविधता को ध्यान में लेकर एक अत्यंत व्यावहारिक समस्या के समाधान पर भी नीति में ध्यान दिया गया है। हमारे देश के अधिकतर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है, परन्तु जिसको आज प्रचलित भाषा में 'बोली' कही जाती है वह एक ही राज्य में अनेक होती हैं. कई बार ऐसा देखा गया है, विशेषकर जनजातीयत्र पहाड़ी क्षेत्र के छात्र उस राज्य की राजभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं जानते, ऐसे में उनको वहाँ की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए तब वे सही ढ़ग से सीख पाएंगे इसके लिए इस नीति में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु लिए जाने वाले साक्षात्कार में स्थानीय भाषा की सुगमता का भी परीक्षण किया जाएगा, साथ ही ग्रामीण भारत के उत्कृष्ट छात्रों, विशेषकर कन्याओं हेतु बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रेय भाषा में निपुण शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके।

संस्कृत भाषा का स्थान

समग्र भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत का स्थान भाषाओं की दृष्टि से माँ के समान है. सभी भारतीय भाषाओं का आधार संस्कृत है. इस तथ्य को वैश्विक स्तर पर भी स्वीकार किया जा रहा है कि संस्कृत वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पूर्ण भाषा है, परन्तु हमारे देश में कुछ लोगों ने संस्कृत को मातृभाषा तक कह दिया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा

नीति में कहा गया है कि संस्कृत को पाठशालाओं तक सीमित न रखते हुए विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के तहत् एक विकल्प के रूप में स्थान दिया जाएगा। इसे पृथक नहीं, परन्तु रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से पढ़ाया पाएगा तथा अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विद्या, योग आदि से भी जोड़ा जाएगा। इसे साथ ही शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में 4 वर्षीय बहुविषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसयिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष:

19वीं शताब्दी में दादाभाई नौराजी ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय धन-सम्पदा विदेश ले जाने को 'ड्रेन ऑफ ब्रेन' कहा था। आज 21वीं सदी हमें स्थिति 'ड्रेन ऑफ ब्रेन' यानी प्रतिभा पलायन हो गई है। यदि हमारे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा के अवसर मिलेंगे तो 'ब्रेन ड्रेन' की यही स्थिति 'ब्रेन गेन' में बदलने लगेगी। भारतीय भाषाओं में शिक्षा से उनका दिमाग किसी विदेशी भाषा का गुलाम होने के बजाय अपनी भाषा में अभिव्यक्ति और अनुसंधान शक्ति को बढ़ाते हुए अपना विकास कर सकेगा। गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारतीय संस्कृति एक विकसित शतदल मूल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएँ है, किसी भी पंखुड़ी नष्ट होने से कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। कुछ लोगों में अंग्रेजी को लेकर श्रेष्ठताबोध का ऐसा भाव है कि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी होता है। सच तो यह है कि किसी भी भाषा ज्ञान का बौद्धिक क्षमता से कोई सम्बन्ध नहीं होता, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम होता है. यदि मातृभाषा में शिक्षा मिले तो बौद्धिक क्षमता और निखरती है। अन्य भाषा में शिक्षा होने पार बौद्धिक क्षमता का सम्पूर्ण लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छा चिन्तन कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. भारत- 2023
2. योजना- जून 2023
3. कुरूक्षेत्र- अप्रैल 2022
4. दैनिक समाचार पत्र
5. प्रतियोगिता दर्पण- अप्रैल 2022
6. शिक्षा शास्त्र- गुरू शरण दास त्यागी
7. भारतीय शिक्षा शास्त्र- गुरू रविन्द्र नाथ टैगोर
8. विभिन्न पत्र- पत्रिकाएँ

❖❖❖